बजट आबंटन/आयोजनागत
संख्या : 247/XVII(1)-2/2005-08(03)/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2. देहरादून, 05 अगस्त 2005

विषय : राजकीय बालिका निकेतन, देहरादून के (100 क्षमता) के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-01/XVII(1)-2/2005-08(03)/2005, दिनांक 07 अप्रैल 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय बालिका निकेतन, देहरादून के (100 क्षमता) के भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारम्भिक आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रूपये 90.06 लाख (रूपये नब्बे लाख छः हजार मात्र) की धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में रूपये 50 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जायेंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुवल व शासन द्वारा समय-2 पर निर्गत आदेशो के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
5. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों से अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाए।

328

7. आगणन में जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की राशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाएगा तथा कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
9. यह धनराशि इस शर्त के साथ दी जा रही है कि धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।
10. उक्त धनराशि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तरांचल द्वारा आहरित कर कार्यदायी संस्था को सीधे उपलब्ध करायी जाएगी।
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के "अनुदान संख्या–15" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–103–महिला कल्याण–06–किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण–00" के मानक मद "24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के अशाराकीय संख्या–613 / XXVII(2) / 2005, दिनांक 01 अगस्त 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 247(1) / XVII(1)-2 / 2005–08(03) / 2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तरांचल।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तरांचल।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, देहरादून, उत्तरांचल।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।